न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :—रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2019	11.03.2019	22.01.2021

उनवान

1 भगवानी पुत्री बिरदा पत्नि बुधराम जाति मेघवाल निवासी खेडा तिगांवा तहसील कोटकासिम अलवर (राज0)

—: प्रार्थिया

बनाम

1. ग्राम पंचायत ततारपुर पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर।

—: रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत दिनांक 21.09.1974 ग्राम पंचायत ततारपुर पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर बाबत विरासत इंतकाल संख्या 523 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिसके द्वारा बेजा निर्णय पारित किया गया, मंसूख फरमाये जाने उक्त निर्णय वो स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्टन वा दियाने जाने खर्चा मुकदमा व दीगर दादरसी

—: निर्णय :—

दिनांक :—22.01.2021

(1) अपीलान्टान की अपील रही कि —

1. यह है कि अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.09.1974 ग्राम पंचायत ततारपुर पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर बाबत विरासत इंतकाल संख्या 523 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर के दायर की जा रही है कि जो हदूद अदालत श्रीमान है अतः अपील हाजा काबिल समाअत अदालत श्रीमान है।
2. यह है कि अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.09.1974 ग्राम पंचायत ततारपुर पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर बाबत विरासत इंतकाल संख्या 523 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर के है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक माह फरवरी 2019 में हुई। जिस पर राजस्व रिकार्ड की नकुलात हासिल [illegible] कानूनी सलाह के अपील हाजा पेश है जिससे अपील हाजा साधारण [illegible] मियाद पेश है। चूंकि नामान्तरण खिलाफ मौका व खिलाफ [illegible] माइना नही रखती है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम [illegible] किये [illegible] से प्रार्थना पत्र भी पेश है।
3. यह है कि अपील हाजा के संक्षिप्त तथ्या इस प्रकार है कि [illegible]जी हाल खसरा नम्बर 1684 रकबा 3—04 बिस्वा, 1686 रकबा 1 बीधा, 1688 रकबा 0—17 बिस्वा, 1690 रकबा 3—01 बिस्वा वाके ग्राम तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

८५६—

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

अपीलान्ट के पिता बिडदा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी दादालाई आराजी थी, मिन अपीलान्टा मृतक बिदडा व सरबती की एम मात्र पुत्री थी, जो शादी के बाद अपने ससुराल चली गयी थी। मिन अपीलान्टा के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 392 मिन अपीलान्टा की माता मु0 सरबती के नाम दर्ज वा मंजूर हुआ तथा मिन अपीलान्टा व मिन अपीलान्टा की माता मु0 सरबती उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने लगे।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकील उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी का कथन रहा कि विवादित आराजी का विधिवत तकासमा हो जाने तक पूर्व में जारी स्थगन आदेश संपुष्ठ किया जावे। अन्यथा मौके की स्थिति निर्माण कार्य होने से बदल जाएगी। इस बाबत आर.एल.डी. 2010, आर.एल.डब्ल्यू 2012, आर.आर.डी.2010 की नजीरे पेश की एवं वकील अप्रार्थी ने प्रार्थिया स्वयं द्वारा वर्ष 2007 में मौके पर बंटवारा का निवेदन करते हुए, अप्रार्थीगण को प्राप्त हिस्से रकबे का समतल बनाए जाने एवं मौके पर एक दुकान का निर्माण किए जाने तथा अप्रार्थीया द्वारा अब पूर्व में स्वयं द्वारा किए गए बंटवारे को मना कर प्रार्थना पत्र पेश किए जाने की स्थिति में पूर्व में जारी पूर्व जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात एवं दौराने बहस पूर्व में जारी स्थगन आदेश को ताफैसला दावा संपुष्ठ किए जाने के निवेदन एवं प्रस्तुत नजीरों से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दू एवं सुविधा के संतुलन का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में होकर अप्रार्थीण के विरूद्ध साबित होता है। ताकि मौके की सूरत यथावत बनी रहे और मूल वाद के निर्णय में सहयोग में, शामिल रहे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया का प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन दोनो ही बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध होकर प्रार्थीया के हक में साबित होता है। इस प्रकार यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार पाता है।

5. अपीलान्टान का अनुतोष रहा कि अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमाई जावे एवं निर्णय दिनांक 21.09.1974 ग्राम पंचायत ततारपुर पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर बाबत विरास्त इंतकाल संख्या 523 निरस्त फरमाया जावे जाकर मृतक सरबती पत्नि बिरदा जाति चमार निवासी ततारपुर की विरासत का इंतकाल मिन अपीलान्टा के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व मंजूर किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। सम्यक तामील हुई। अपीलान्टान की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल इतंकाल सं. 523, नकल इतंकाल सं. 186, नकल इतंकाल सं. 197, नकल जमाबंदी सवंत 2071 से 2074, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, ग्राम पंचायत का पत्र दिनांक 24.02.2019 पेश किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेष नही किये गये।

7. बहस वकील अपीलान्टान सुनी गयी।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर [illegible] गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

9. इन्तकाल सं0 523 ग्रम ततारपुर तहसील मुण्डावर को गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 21.09.1974 को खारीज किया गया है जो आदेश [illegible] में काबिले अपास्त है।

10. वस्तुतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

—:आदेश:—

न्यायालय अपीलान्टान की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत ततारपुर पं0स0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 का आदेश दिनांक 21.09.1974 बाबत इन्तकाल सं0 523 ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, मुण्डावर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर, समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षकर न्यायालय में सुनाया गया।

22.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested